<u>कार्यालय जनपद न्यायाधीश, आगरा।</u>

<u>(प्रशासनिक अनुभाग)</u>

आदेश संख्या : 175 /2022 आगरा : दिनांक : 03 नवम्बर, 2022

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 3548जे0/22–5–21–300(01)/2020टी0सी0 दिनांकित 01.01.2022 के प्रस्तर 02 में दिये गये दिशानिर्देश के अनुपालन में अधीक्षक, जिला कारागार, आगरा के पत्रांक 23/यू0टी0/2022 दिनांकित 03.01.2022 के द्वारा विचाराधीन बंदियों की रिमाण्ड/न्यायिक कार्य का सम्पादन वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से किए जाने का अनुरोध किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त पत्रांक 2419/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 02.01.2022 के प्रस्तर 10 में दिये दिशानिर्देशो के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में पारित आदेश संख्या 151/2022 दिनांकित 23.08.2022 में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नलिखित अधिकारीगण को (राजकीय, साप्ताहिक व सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) प्रत्येक कार्यदिवस को समय 02:00 अपरान्ह से सिविल न्यायालय परिसर आगरा स्थित वीडियो कॉन्फ्रेसिंग कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से विचाराधीन बंदियों की रिमाण्ड/न्यायिक कार्य सम्पादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक अधिकारीगण को अग्रिम आदेश तक निर्देशित किया जाता है : –

न्यायिक अधिकारी का नाम	पदनाम
श्री अच्छे लाल गुप्त	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 05, आगरा।
श्री सौरभ शुक्ला	अपर सिविल जज(जू0डि0), न्यायालय संख्या 05, आगरा।

उपरोक्त न्यायिक अधिकारीगण में से किसी के भी अवकाश पर रहने की स्थिति में उनका कार्य उनके प्रभारी अधिकारी(Link Officer) द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा को निर्देशित किया जाता है कि वह जेल प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उक्त कार्य को सुचारू रूप से संपादित कराया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त कार्य की सुचारू व्यवस्था व आवश्यक सहायता हेतु नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग के निर्देशन में कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, आगरा के कर्मचारीगण श्री राजेश निगम, डी0एस0ए0 तथा श्री गौरव अग्रवाल, वरिष्ठ सहायक की डयूटी लगायी जाती है।

आदेश की सूचना समस्त बार एसोसिएशन को भेजी जाए।

ह0/
जनपद न्यायाधीश,
आगरा।

<u>आदेश की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–</u>

1. नोडल अधिकारी, कंप्यूटर अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. समस्त सम्बन्धित न्यायिक अधिकारीगण
3. जिलाधिकारी, आगरा।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
5. संयुक्त निदेशक (अभियोजन), आगरा।
6. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागार, आगरा।
7. जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), आगरा।